| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 19/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/21)<br>**श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.09.22 | उपस्थिति दौराने बहसः-<br>1. श्री चन्द्रप्रकाश आमेटा - वकील अपीलार्थी<br>2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा - वकील प्रत्यर्थी (वकालतपत्र अनुसार)<br>3. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-युआईटी<br>4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राज.पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-तहसीलदार बडगावं<br><br>**प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90क क्रमांक** F.11()/Niyman i/90A/2020 **दिनांक 14.10.2020 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-90क भू-राजस्व अधिनियम 1956**<br><br>**<u>निर्णय</u>**<br>दिनांक 21.09.2022<br><br>उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90क क्रमांक F.11()/Niyman i/90A/2020 **दिनांक 14.10.2020** के विरुद्ध पेश की गई है।<br><br>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-<br><br>● राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा में खसरा नम्बर 104, 105, 106, 186, 187 रकबा 0.4150 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांक F.11()/Niyman i/90A/2020 **दिनांक 14.10.2020** से खातेदार श्री मेघा पिता चेना भील के नाम पारित किया।<br><br>● प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90क दिनांक 14.10.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर सक्षम अपील दिनांक 02.02.2021 को मयाद बाहर प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा-96 जादी का प्रस्तुत किया गया, जिन पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 22.08.2022 को सुनी गई। दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम, दफा 96 जा.दी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जादी का पेश किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जादी को पेश किया गया। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद बाधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 19/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/21)<br>**श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि** अपीलार्थी की पैतृक कब्जेशुदा व शामलाती कृषि भूमि राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का शोभागपुरा, तहसील बड़गावं में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 97से 100, 104 से 111, 183 से 190 कुल किता 20 रकबा 1.5900 हैक्टेयर है। उक्त भूमि में अपीलान्ट के दादाजी वगता भील व उनके भाईयों धर्मा, लछमन पिता केरिंग का संयुक्त रूप से 3/4वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी संवत 2042 से 2045 व संवत 2045 से 2048 में दर्ज था। उक्त कृषि भूमि शामलाती होकर अभी तक विधिवत बटवारा नहीं होने से तीनों भाई मौखिक बटवारें कें अनुसार अपने अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, आज भी अपीलान्ट अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है। दिनांक 02.01.1997 को अपीलान्ट के दादा वगता पिता केरिंग भील की मृत्यु हो गई। वगता भील के स्वर्गवास से पूर्व ही अपीलार्थी के पिता स्व. श्री भंवरलाल उर्फ भमरू भील व माता का निधन हो चुका था। पारिवारिक सजरे अनुसार वगता भील के कुल चार वारिसान थे (भंवरलाल पुत्र-फौत जिसकी पुत्री मांगीबाई, चुन्नीलाल-पुत्र लाऔलाद फौत, मांगीलाल पुत्र जिसके तीन वारिस श्री भंवरलाल, मीराबाई, एचकी बाई, श्रीमती देवलीबाई बेवा फौत)। चुन्नीलाल के लाऔलाद फौत होने से व अपीलान्ट के माता-पिता की मृत्यु वगता की मृत्यु से पूर्व हो जाने से उक्त कृषि भूमि में से वगता जी के 1/4वें हिस्से का विरासत का नामान्तरकरण मांगीबाई अपीलार्थी, मांगीलाल रेस्पोडेंट-1 व वगता की विधवा श्रीमती देवलीबाई के नाम खुलना चाहिये था लेकिन तहसीलदार गिर्वा ने सिर्फ मांगीलाल व श्रीमती देवलीबाई के नाम पर ही विरासत का नामान्तरकरण खोला है, विरासत का नामान्तरकरण खुलने के पश्चात श्री मंगीालाल व श्रीमती देवलीबाई ने उक्त कृषि भूमि में से वगता भील के 1/4वें हिस्से को रेस्पोडेंट संख्या 2 को बेच दिया। रेस्पोडेंट 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 3, 4, 5 के साथ मिलकर उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति बट़वारा कर लिया तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 5 ने आपसी सहमति बटवारें से अपने हिस्से आयी उक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्से में आयी कृषि जिसके आराजी संख्या 97 से 100, 188 से 190 के सम्पूर्ण हिस्से को आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी में भू-रूपान्तरण करवाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 9 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के यहां समर्पित कर उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से को आबादी में भू-रूपान्तरण करवा दिया जब भू-माफिया के लोग मौके पर आये व अपीलान्ट को उसके कब्जे से जबरन बेदखल करना चाहा व कहा कि यह जमीन हमने खरीद ली है, तब अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि जमाबंदी, नामान्तरण, 90क, आदि की नकलें प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की। हस्तगत प्रकरण में विरासत का नामान्तरकरण जो खोला गया, वह अपीलार्थी के अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य है। तत्पश्चात् श्री मंगीालाल व श्रीमती देवलीबाई ने उक्त कृषि भूमि में से वगता भील के 1/4वें हिस्से को रेस्पोडेंट संख्या 2 को बेच दिया। रेस्पोडेंट 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 3, 4, 5 के साथ मिलकर उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति बट़वारा कर लिया, जिसका भी नामान्तरकरण खुल गया और धारा-90क की | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 19/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/21)<br>**श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कार्यवाही उपरान्त भी संबंधितों के नाम नामान्तरकरण पारित हो गया जो अपीलार्थी के अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य है। उक्त आदेश से अपीलार्थी के हक प्रभावित होते है व अपीलार्थी व्यथीत पक्षकार होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-96 जादी संलग्न किया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाने का निवेदन किया।<br><br>**विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी पर जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि** उक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का अधिकारग्रहिता द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कानूनन मान्य नहीं है। उक्त भूमि जो अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिकार की कभी भी नहीं रही और उक्त भूमि का विक्रय काफी वर्षों पूर्व हो चुका था और इन तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी को आरम्भ से ही थी और इसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा एक वाद सिविल न्यायाधीश दक्षिण उदयपुर में दिनांक 01.04.2009 को लक्ष्मण, गुलाबी बाई, मांगीलाल, मांगीबाई, बसंतीबाई, दुर्गाशंकर, लीलाबाई व डालीबाई की ओर से मेघा एवं नगर विकास प्रन्यास के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 67/2009 होकर वह मुकदमा दिनांक 19.10.2015 को खारिज किया और इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया उसके यह स्पष्ट तौर से आधार लिया गया था कि विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि की धारा-90बी की कार्यवाही कर प्लॉट काट दिय है, जो कानूनन अवैध है और अपीलार्थी ने जो न्यायालय से दाद चाही थी वह भी इसी आशय की थी कि धारा-90बी की कार्यवाही निरस्त करने एव भूमि रूपान्तरण नहीं करें। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा अन्य वाद प्रकरण संख्या 68/2009, 69/2009 व 33/2009 में भी सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण उदयपुर व सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उदयपुर में प्रस्तुत किये, सभी वाद खारिज कर दिये गये। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को धारा-90 बी कार्यवाही की जानकारी नहीं होना, पूर्ण रूप से गलत है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर निरस्तनीय है। इस क्रम में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है और न ही अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि की हितबद्ध व्यक्ति है क्योंकि वह कोई खातेदार काश्तकार नहीं है, न ही उक्त भूमि में उसका किसी प्रकार का कानूनन हक व हिस्सा है, इसलिए प्रस्तुत अपील इस बिन्दु पर भी खारिज योग्य है।<br><br>**विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जादी को पेश कर निवेदन किया कि** अपीलार्थी जो कि अनुसूचित जनजाति की महिला होकर उस पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है साथ ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-2 में स्पष्ट प्रावधान दे रखे है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की पुत्री को उसके पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार कानूनन उत्पन्न नही होता है फिर भी अपीलान्ट द्वारा अपील भंवरलाल | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 19/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/21)<br>**श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

उर्फ भमरू गमेती की सम्पत्ति में हिस्सा होने बाबत आप न्यायालय में प्रस्तुत जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील उपरोक्त आधार पर निरस्त फरमाई जावें।

**विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जादी को प्रत्युत्तर पेश कर निवेदन किया कि** उक्त प्रार्थना पत्र मूल वाद में पेश किया जाता है, जिस कारण अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्तनीय है। इस अतिरिक्त अपीलार्थी श्री भंवरलाल की एक मात्र वारिस है। विवादित भूमि अपीलान्ट की पैतृक अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमें अपीलार्थी के हक जन्म से ही निहित है। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वज हिन्दु विधि से शासित होते है और अपीलार्थी व इनके पूर्वज हिन्दु देवी-देवताओं को अपना अराध्य मानते है और उनका विवाह भी हिन्दु रीति से हुआ है। अपीलान्ट के जन्म से मरण तक समस्त सामाजिक कार्यक्रम हिन्दु विधि का अनुगमान करते आये है, इसलिए अपीलान्ट अपने पिता भंवरलाल की अपील में वर्णित पैतृक भूमि की एकमात्र विधिक वारिस होने से अपने पिता की उक्त सम्पत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी है।

**विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी- 9 द्वारा** अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत एवं सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया के अनुपालन के उपरान्त पारित किये जाने का कथन किया और प्रस्तुत अपील को मयाद बाधित बताते हुए मयाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य माना। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-9 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

**विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-10 राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने का कथन करते हुअ अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

**हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की मौखिक बहस (विभिन्न प्रार्थना पत्रों एवं गुणावगुण), प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं धारा.96 जादीएवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**

वकील अपीलार्थी एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 सीपीसी मय दस्तावेज पेश किया जिस पर हम सर्वप्रथम विवेचन किया जाना उचित समझते है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 ने प्रार्थना पत्र के साथ विभिन्न न्यायालयों एवं राजकीय विभागों से जारी दस्तावेजों/निर्णयों प्रतियां प्रस्तुत किए गए दस्तावेज राजकीय विभाग से जारी की गई प्रमाणित प्रतियां की फोटोप्रतियां है, हस्तगत प्रकरण में निर्णय प्रतिपादित किये जाने

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 19/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/21)<br>**श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | में सहायक होगे, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।<br><br>दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा-151 सि.प्र.स. प्रस्तुत किया जो अपीलीय कार्यवाही में लाई नहीं होने स्वीकार नहीं की जाती है।<br><br>मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी ने कथन किये कि रेस्पोडेंट 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 3, 4, 5 के साथ मिलकर उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति बट़वारा कर लिया तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 5 ने आपसी सहमति बटवारें से अपने हिस्से आयी उक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्से में आयी कृषि जिसके आराजी संख्या 97 से 100, 104 से 111, 188 से 190 के सम्पूर्ण हिस्से को आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी में भू-रूपान्तरण करवाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 9 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के यहां समर्पित कर उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से को आबादी में भू-रूपान्तरण करवा दिया जब भू-माफिया के लोग मौके पर आये व अपीलान्ट को उसके कब्जे से जबरन बेदखल करना चाहा व कहा कि यह जमीन हमने खरीद ली है, तब अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि जमाबंदी, नामान्तरण, 90बी, आदि की नकलें प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की। **विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि** उक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का अधिकारग्रहिता द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कानूनन मान्य नहीं है। उक्त भूमि जो अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिकार की कभी भी नहीं रही और उक्त भूमि का विक्रय काफी वर्षों पूर्व हो चुका था और इन तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी को आरम्भ से ही थी और इसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा एक वाद सिविल न्यायाधीश दक्षिण उदयपुर में दिनांक 01.04.2009 को लक्ष्मण, गुलाबी बाई, मांगीलाल, मांगीबाई, बसंतीबाई, दुर्गाशंकर, लीलाबाई व डालीबाई की ओर से मेघा एवं नगर विकास प्रन्यास के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 67/2009 होकर वह मुकदमा दिनांक 19.10.2015 को खारिज किया और इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया उसके यह स्पष्ट तौर से आधार लिया गया था कि विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि की धारा-90बी की कार्यवाही कर प्लॉट काट दिय है, जो कानूनन अवैध है और अपीलार्थी ने जो न्यायालय से दाद चाही थी वह भी इसी आशय की थी कि धारा-90बी की कार्यवाही निरस्त करने एव भूमि रूपान्तरण नहीं करें। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा अन्य वाद प्रकरण संख्या 68/2009, 69/2009 व 33/2009 में भी सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण उदयपुर व सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 19/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/21)<br>**श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | उदयपुर में प्रस्तुत किये, सभी वाद खारिज कर दिये गये। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को धारा-90 बी कार्यवाही की जानकारी नहीं होना, पूर्ण रूप से गलत है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर निरस्तनीय है।<br><br>इस न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु पर अधिवक्तागण के कथनों का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ संलग्न दस्तावेजात के परिपेक्ष्य में अध्ययन किया गया और पाया गया कि विवादित भूमि के पूर्व में किये बेचानों के विक्रय पत्रों को निरस्ती बाबत अलग अलग वाद सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण एवं सिविल न्यायाधीश (व.ख.) उदयपुर में प्रस्तुत किये जो निम्नानुसार है-<br><br>1. लक्ष्मण व अन्य बनाम मेघा व अन्य प्रकरण संख्या 67/2009 ई.दी.<br>2. लक्ष्मण व अन्य बनाम उदा व अन्य प्रकरण संख्या 69/2009 ई.दी.<br>3. लक्ष्मण व अन्य बनाम जयराम व अन्य प्रकरण संख्या 68/2009 ई.दी.<br>4. लक्ष्मण व अन्य बनाम देवा व अन्य प्रकरण संख्या 33/2009 ई.दी.<br><br>उक्त वर्णित वाद जो कि लक्ष्मण तथा हस्तगत प्रकरण की अपीलार्थी श्रीमती मांगीबाई व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये। इस वाद की कार्यवाही के दौरान श्रीमती मांगीबाई, मांगीलाल व बंसती बाई द्वारा आपसी राजीनामा इकरार नामा दिनांक 09.08.2010 को हेमन्त छाजेड़ के पक्ष में निष्पादित करने का अंकन है, जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 30.07.1980 द्वारा जयराम भील को उक्त भूमि का विक्रय कर कब्जा सिपूर्द करना स्वीकार किया गया। सिविल न्यायाधीश, दक्षिण उदयपुर में प्रस्तुत वाद विड्रो कर लिया और भविष्य में उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई अपीलान्ट द्वारा नहीं किया जावेगा का अंकन है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा जो वाद सन् 2009 में उक्त न्यायालयों में प्रस्तुत किये, वह सभी वाद खारिज हो चुके है।<br><br>प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदारों द्वारा 90बी तहत आवेदन करने | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 19/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/21)<br>**श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पर प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने का निर्णय में अंकन है। यह तथ्य प्रकट करता है कि 90बी की कार्यवाही का अखबार प्रकाशन किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होना स्वाभाविक है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी/प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष असत्य, मनगढ़त, अविश्वसनीय एवं बनावटी कारण अंकित करते हुए 4 माह से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है।<br><br>साथ ही इस क्रम में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है और न ही अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि की हितबद्ध व्यक्ति है क्योंकि वह कोई खातेदार काश्तकार नहीं है, न ही उक्त भूमि में उसका किसी प्रकार का कानूनन हक व हिस्सा है, इसलिए प्रस्तुत अपील इस बिन्दु पर भी खारिज योग्य है और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. का खारिज किया जाता है।<br><br>जहा तक प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, उपरोक्त स्थिति होने के उपरान्त भी न्याय हित में प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन किया जा रहा है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 अनुसार विवादित आराजीयात खातेदार श्री मेधा पुत्र श्री चेना के नाम दर्ज रेकार्ड है। खातेदार श्री मेघा द्वारा उसकी खातेदारी भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-90 के अधीन कृषि से गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा चाहने हेतु नवीनतम जमाबंदी, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, मेप, नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये। उक्त आवेदन एवं दस्तावेजों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया और उपरोक्त वर्णित आराजीयात की भूमि के संबंध में दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में 22.09.2020 के अंक में प्रकाशित कर सर्वसाधारण/खातेदार/हितधारी से 7 दिवस में आपत्तिया आमंत्रित की गई। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं होना पाये जाने से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है, जिसमें गुणावगुण के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।<br><br>दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद बाधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया और श्रीमती जाली बाई के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया। यह न्यायालय पाता है कि हस्तगत अपील में अधिवक्ता अपीलार्थी या अपीलार्थी श्रीमती जालीबाई के किसी वारिसान द्वारा विधि द्वारा परिसीमीत समय | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 19/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/21)<br>**श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 90 दिवस के भीतर कोई आवेदन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील कायम मुकामी के अभाव में अबेट किये जाने योग्य है व प्रस्तुत अपील त्रुटिपूर्ण है।<br><br>उपरोक्त समग्र विवेचन, बहस, रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद, मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से, त्रुटिपूर्ण होने से, अपीलान्ट के व्यथीत/हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण एवं सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें।<br><br>निर्णय सुनाया गया।<br><br>(राजेन्द्र भट्ट)<br>संभागीय आयुक्त, उदयपुर | |